

न्यायालय प्रथम अपील प्राधिकारी एवं जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

(अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005)
श्री विजय कुमार बलाई निवासी शिवनगर, कुशनपुरा सीकर, जिला सीकर।

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी भीलवाड़ा, जिला भीलवाड़ा।

प्रकरण संख्या :- 167/2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
10.12.2025	<p>—: निर्णय :-</p> <ol style="list-style-type: none">पत्रावली आज पेश हुई। अपीलार्थी अनुपस्थित।अपीलार्थी ने ऑनलाईन आवेदन-पत्र दिनांक 01.10.2025 से अपील में वर्णित सूचना लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी भीलवाड़ा से चाही गई थी, परन्तु प्रत्यर्थी के द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं करवाये जाने के कारण अपीलार्थी द्वारा यह अपील ऑनलाईन क्रमांक 249478848892052 प्रस्तुत कर, प्रत्यर्थी से सूचना दिलाये जाने का निवेदन किया है। प्रकरण दर्ज कर उभयपक्षकारान की तलबी हेतु नोटिस जारी किये गये।लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी भीलवाड़ा से प्राप्त सूचना अनुसार लोक सूचना अधिकारी द्वारा जरिये पत्रांक 2400 दिनांक 28-11-2025 से अवगत कराया गया कि इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 2161 दिनांक 30.10.2025 से अपीलार्थी को जवाब/सूचित जरिये स्पीडपोस्ट/ऑनलाईन अपलोड कर दी गयी। जिसकी प्रतिलिपि उक्त अपील पत्रावली के अभिलेख पर मौजूद है। <p>अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार हो कर नम्बर से कम हो।</p> <p>निर्णय आज दिनांक 10-12-2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p>	



(जसमीत सिंह संघू)

प्रथम अपीलीय अधिकारी

लोक सूचना एवं जिला कलक्टर, भीलवाड़ा